न्यायालय नायब तहसीलदार बाड़मेर–प्रथम तहसील व जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : विष्णु कुमार भारद्वाज

राजस्व आवेदन सं. 24/2025

प्रार्थी–	बनाम	विप्रार्थी–
राज्य सरकार जरिये पटवारी आटी		जोगाराम पुत्र हरूराम, केवलाराम पुत्र कुम्पाराम जाति मेघवाल निवासी आटी

राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक : 14.10.2025

1. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य यह है कि पटवारी हल्का आटी द्वारा 12.09.2025 को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि विप्रार्थी द्वारा संवंत 2082 के दौरान ग्राम आटी के खसरा नम्बर 515/103 रकबा 05–14 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता भूमि में से 00–11 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण कर काश्त की गई है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। विप्रार्थी ने नोटिस तामिल करने से इनकार किया। विप्रार्थी सुनवाई पर अनुपस्थित।
2. हमने हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया। विप्रार्थी ने सरकारी भूमि पर नाजायज काश्त एवं कब्जा कर अतिक्रमण किया है जो अवैध है।
3. अतः विप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत एकतरफा कार्यवाही कर अतिक्रमी घोषित किया जाकर मुतनाजा भूमि का वार्षिक लगान दर रूपये 0.033 का 50 गुणा रूपये 2/– (अक्षरे दो रूपये) जुर्माना आरोपित किया जाता है साथ ही विप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है।
4. **भू –अभिलेख निरीक्षक राणीगांव एवं पटवारी आटी** को निर्देशित किया जाता हैं कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को बहक सरकार नीलाम कर फसल नीलामी राशि राजकोष में जमा कराते हुए नीलामी कार्यवाही फर्दे स्वीकृति हेतु पेश करें। विप्रार्थी को उक्त सरकारी भूमि से बेदखल कर जुर्माना राशि एवं फसल नीलामी राशि बाद स्वीकृति राज्य कोष में जमा कराने हेतु, भू–अभिलेख निरीक्षक तथा त.रा.ले. तहसील हाजा निर्णय से सूचित हो। मिसल बाद तामिल फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विष्णु कुमार भारद्वाज)
नायब तहसीलदार, प्रथम
तहसील बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner